न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–61–2019 / रीडर / 2019 / 192 दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुखराम पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल उर्फ सोहनराम, जाति–नायक, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. किसन पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 2. दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 3. परसराम पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, 4. रामप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, समस्त,जाति–लखारा, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 61/2019 दायर दिनाँक 11.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुखराम पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल उर्फ सोहनराम, जाति—नायक, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. किसन पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 2. दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 3. परसराम पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, 4. रामप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, समस्त,जाति—लखारा, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।

दिनाँक 22.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद कापड़ोद में स्थित पैतृक सम्पत्ति के खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 03.16 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 279 रकबा 03.09 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 281 रकबा 0.07 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 282 रकबा 12.06 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 291 रकबा 0.14 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 34.14 बीघा भूमि है, की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता सोहनराम पुत्र भागीरथराम के व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 04 के पिता के नाम से दर्ज है। नकल खतौनी व नक्शाट्रेश पेश है।

दर्ज खातेदार वादी के पिता सोहनराम पुत्र भागीरथ नायक के फौतगी के बाद फौतगी का नामान्तरकरण वादी के नाम पटवारी हल्का पालोट के द्वारा वादी के नाम नहीं भरने के कारण उक्त वाद वादी के द्वारा पेश किया जाना लाजमी आया है।

वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्सा मौखिक बन्टवारे के अनुसार वादी के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 280 व 292 व 293 बन्ट व कब्जाकाश्त में है जिसकी खातेदारी वादी स्वतन्त्र रूप से अपने से घोषित करवाने व विधिक बन्टवारा करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के बीच बन्टवारा कराकर उक्त भूमि की खातेदारी वादी अपने नाम से घोषित करवाना चाहता है। मृतक खातेदार सोहनराम का हटाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम कापड़ोद सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 178/206 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेश प्रदर्श–02, वादी के दादा भागीरथराम वल्द भारू के नाम खातेदारी दर्ज रही जिसकी नकल खतौनी सम्वत् 2018–35 व 2023–26

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

व खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं गिरदावरी सम्वत् 2017–18 एवं खेतों का पट्टा सन् 1965 का क्रमशः प्रदर्श–03 ता 05, वादी के पिता सोहनराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–07, बन्टवारा विभाजन अनुसूची "अ" प्रदर्श–08 पेश है।

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, वादी स्वयं का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–01, मोहम्मद साबिर का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–02, जुगलकिशोर निवासी कोलिया का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–03, पेश हुए।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि पक्षकारान् मौखिक बन्टवारे के अनुसार कब्जाकाश्त वादी के पिता सोहनराम का उनके जीवनकाल में कब्जाकाश्त रहा है उनकी मृत्यु के बाद निर्विवाद रूप से आज दिन तक मौके पर वादी का चला आ रहा है जिसकी खातेदारी वादी के हक में बन्टवारा व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति–एतराज पेश नहीं है। सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि की खातेदारी वादी चाहते हैं व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त करवाना चाहते हैं। हस्तगत वाद में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

का अवलोकन करने तथा बहस वकील वादी पर मनन् करने से विश्वास होता है कि, हस्तगवाद को वादी पुष्ट करने में सफल रहा है।

लिहाजा, सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाना व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री निम्न आदेशानुसार सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी के कब्जासुदा व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **61 / 2019** दायर दिनाँक **11.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुखराम पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल उर्फ सोहनराम, जाति–नायक, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. किसन पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 2. दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय रामकुँवार, 3. परसराम पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, 4. रामप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र, समस्त,जाति–लखारा, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कापड़ोद के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 09.03 बीघा व खसरा नम्बर 293 रकबा 03.09 बीघा भूमि कुल रकबा 13.02 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी के कब्जासुदा व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner